

फार्मासिस्ट सीधी नौकरी परीक्षा-2018 का जवाहर नगर जयपुर में आयोजित करने पर निर्णय लिया गया है। अतः फार्मासिस्ट सीधी नौकरी परीक्षा-2018 से संबंधित समस्त कार्यवाही निरस्त की जाती है।

(डॉ. बी.एल. जाटावत)

DIPR/C/9060/2020

अध्यक्ष

राजस्थान आवासन मण्डल

आवश्यक सूचना

राजस्थान आवासन मण्डल की इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना (जगतपुरा) जयपुर में, सामान्य पंजीकरण योजना वर्ष 2001 के मध्यम आय वर्ग "अ एवं "ब" के शेष पंजीकृत आवेदकों, विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2006 के शेष पंजीकृत आवेदकों, विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2006, वर्ष 2013 एवं वर्ष 2017 के शेष पंजीकृत माननीय सांसद/विधायकगण, विशिष्ट पंजीकरण योजना स्ववित्त पोषित योजना वर्ष 2014-प्रथम चरण के मध्यम आय वर्ग-ब (एस+9) के शेष पंजीकृत आवेदक, विशिष्ट पंजीकरण योजना वर्ष 2015 के मध्यम आय वर्ग "अ" (जी+3) के शेष पंजीकृत आवेदकों, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर में खुली बिक्री योजना वर्ष के अल्प आय वर्ग के पंजीकृत आवेदकों को इन्दिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जगतपुरा, जयपुर में आवास/फ्लैट्स के आवंटन हेतु तथा निवाई आवासीय योजना (जिला टॉक) में दिनांक 01.09.2020 से 31.10.2020 तक खोली गई पंजीकरण योजना के आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु आवंटन लॉटरी वेब बेस्ड कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा दिनांक 27.11.2020 को प्रातः 11:00 बजे आयोजित किया जाना प्रस्तावित है। जिसका लॉटरी कार्यक्रम निम्नानुसार है :-

कार्यक्रम	दिनांक एवं समय
योग्य/अयोग्य आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 19.11.2020 सांय 06:00 बजे
आक्षेप प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 24.11.2020 सांय 06:00 बजे तक
योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 25.11.2020 सांय 06:00 बजे
आवंटन व वरीयता निर्धारण लॉटरी	दिनांक 27.11.2020 प्रातः 11:00 बजे से

संबंधित स्थान : कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर के नोटिस बोर्ड पर

नोट:-

1. यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नहीं देने के कारण लॉटरी कार्यक्रम से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. लॉटरी कार्यक्रम की अवधि में भुगतान पद्धति परिवर्तन के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. आक्षेप प्रस्तुत करने की तिथि तक पूर्वग्रहण राशि/आरक्षण पत्र अनुसार जमा राशि के चालान प्रस्तुत करने के उपरान्त ही लॉटरी में शामिल किये जायेंगे। जमा राशि के चालान के अभाव में लॉटरी में वंचित रहने पर मण्डल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
4. निवाई आवासीय योजना में प्राप्त आवेदनों में से प्रस्तावित आवासों के अनुपात में सफल आवेदकों का चयन करने हेतु वरीयता का निर्धारण कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली से लॉटरी द्वारा मण्डल नियमानुसार किया जावेगा।
5. आवास/फ्लैट्स आवंटन हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची एवं वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की सूची मण्डल की वेबसाइट www.urban.rajasthan.gov.in/rhb पर भी उपलब्ध रहेगी।
6. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं।

Samwad/C/6802/2020-21

उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, जयपुर